

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 1981/माघ 14, 1902
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1981/MAGHA 14, 1902

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1981

सं. का. नि. 43 (अ).—केंद्रीय सरकार, वायु निगम अधिनियम, 1953
(1953 का 27) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायु निगम
नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,
अर्थात् :—

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायु निगम (संशोधन) नियम, 1981 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 वायु निगम नियम, 1954 के नियम 51 में,—

उपनियम (2) के खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) समिति का कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर समिति से पद त्याग कर सकेगा। अध्यक्ष त्यागपत्र तीस दिन के भीतर स्वीकार कर सकेगा। ऐसी वंशा में पद त्याग, त्यागपत्र में उल्लिखित तारीख से या समिति के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्तरी हो, प्रभावी होगा। यदि समिति का अध्यक्ष तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर त्याग पत्र स्वीकार नहीं करता है तो पद त्याग, त्यागपत्र में वर्णित तारीख से स्वीकार किया गया माना जाएगा।”

[सं. ए. वी. 18012/5/74-एसी]

गोपाल चतुर्वेदी, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1981

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Air Corporations Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Air Corporations (Amendment) Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Air Corporations Rules, 1954, in rule 51,—

for clause (aa) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely :—

“(aa) A member of the Committee may resign from the Committee by giving a notice in writing to the Chairman of the Committee. The Chairman may accept the resignation within thirty days, in which case, the resignation shall be effective from the date mentioned in the letter of resignation or from the date of acceptance of the resignation by the Chairman of the Committee, whichever is later. The resignation shall be deemed to have been accepted from the date mentioned in the letter of resignation if the Chairman of the Committee does not accept the resignation within the said period of thirty days.”

[No. AV. 18012/5/74-AC]

GOPAL CHATURVEDI, Dy. Secy.